Continuation Note Sheet

-07-2025

प्रार्थी द्वारा जरिए वकील प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर पत्रावली पेश हुई। प्रार्थना पत्र पर वकील प्रतिवादी द्वारा अनापत्ति जाहिर की गई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। प्रार्थी नकुल शेखावत द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10(2) 151 सी.पी.सी. का वकील अप्रार्थी द्वारा जवाब पेश नहीं कर प्रार्थना पत्र को स्वीकार किये जाने बाबत सहमति जाहिर की गई। प्रार्थी आवश्यक पक्षकार है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10(2) 151 सी.पी.सी. स्वीकर किया जाकर प्रार्थी नकुल शेखावत पुत्र जीतसिंह शेखावत को प्रार्थी जीत सिंह शेखावत के स्थान पर वादी संयोजित किया जाता है एवं जीत सिंह का नाम वाद पत्र से कलमजन किया जाता है। प्रार्थी नकुल शेखावत का नाम वाद पत्र में वादी के रूप में लाल स्याही से लिखा जावे।

वादी नकुल द्वारा जरिए अधिवक्ता श्री सुभाष मिढढा के प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि वादी का उक्त प्रकरण में प्रतिवादीगण से राजीनामा हो चुका है। वादी अव इस प्रकरण में आगे कार्यवाही नहीं चाहता है। अतः इस प्रकरण को आज की तारीख पेशी में दाखिल दफ्तर की जावे। वकील प्रतिवादी द्वारा वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर अनापत्ति जाहिर की गई। वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवम् वादी के प्रकरण मे आगे कार्यवाही नहीं चाहने पर प्रकरण को इसी स्तर पर खारिज किया जाता है।

पत्रावली दायरा नम्बर से कम होकर वाद तकमील जाब्ता दाखिल अभिलेखागार हो।

उपखण्ड अधिकारी
श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner